फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

गिर्राज बनाम झालू वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0– 51/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ग्राम ठिकरिया तहसील सिकराय के निवासीयान है तथा काश्तकार पेशा लोग है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा संख्या 794 रकबा 0.2000 है0 चाही व खसरा संख्या 795 रकबा 0.1000 है0 गै0मु0 बोरिंग है। जिसके सटवा खसरा संख्या 796 रकबा 0.1800 है0 किस्म बंजड भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का बजमाने बुजुर्गान संवत 2007 से ही बतौर उपकृषक आज दिन तक लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहे है। भूमि खसरा संख्या 796 तथा खसरा संख्या 794 एवं 795 का मौके पर एक चक शुरू से बना हुआ है। जिनकी सीमाओं पर खाम डौल सदैव से आज दिन तक बनी हुई है। प्रार्थीगण ही भूमि उक्त का लगान अदा करते रहे है। भूमि खसरा संख्या 796 पर मौके पर कभी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। भूमि संख्या संख्या 796 का आगे भूमि वादग्रस्त के रूप में संबोधित किया जा रहा है। यह है कि पोष बुद्धी चौदस संवत 2007 को अप्रार्थीगण के पूर्वज जन्सी बेटा गंगाधर ने कलदार झाड़शाई चालीस मुद्रा में भूमि वादग्रस्त का कब्जा प्रार्थीगण के पूर्वज रामपाल पुत्र मोती को मौके पर संभलाया था जिसका इन्द्राज प्रार्थी की बही में किया हुआ है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के दिन इस प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वज रामपाल पुत्र मोती बतौर काश्तकार भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त थे तदानुसार प्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त के खातेदारान हो चुके है तथा अपने हक में खातेदारी अधिकारात की उदघोषणा करवाने के हकदार हो चुके है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अब से पूर्व कभी भी वादग्रस्त बाबत कोई उज्र नहीं किया गया था ना ही प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का कोई दखल व ऐतराज किया था। अब अप्रार्थीगण के मन में बेदहान्ती पैदा हो गई है प्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त में चारा रखने के लिए कमरे की नींव भरवा रहे थे तब अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.05.2025 सायंकाल को ऐलानिया धमकी दी है कि वे भूमिवादग्रस्त पर जबरन कब्जा करेंगे तथा प्रार्थीगण को भूमि उक्त से बेदखल करेगे। इस कारण विनाय यौम दिनांक 18.05.2025 को उत्पन्न होने के कारण वादकारण उत्पन्न होने के कारण दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है। अप्रार्थीगण की भूमि वादग्रस्त पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारात समाप्त हो चुके है और अप्रार्थीगण को भूमि वादग्रस्त पर जबरन ताकत के बल पर नाजायज कब्जा करने का कानूनन कोई अधिकारात भी प्राप्त नहीं है।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

गिर्राज / झालू कों

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बिना विधिक प्रकिया अपनाये जबरन बेदखल करने के हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण को जबरन गैरकानूनी ढंग से बेदखली नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना जरूरी है। मुकदमा हाजा प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया साबित है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषे0 पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब बिन्दुवार पेश कर अंकित किया है कि मिन अप्रार्थीगण का सजरा खानदान में जनसी पुत्र गंगाधर नहीं होकर जनसी पुत्र जोध्या है जनसी पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी दर्जापुर का रहने वाला है गलत आधारो पर प्रार्थीगण द्वारा सजरा खानदान प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। विवादित भूमि मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी और कब्जेकाश्त की भूमि निर्विवाद रूप से चली आ रही है। जिस लिखावट का प्रार्थीगण जिक्र करने है वह झूठा एव बनावटी है। प्रार्थीगणों या उनके पूर्वजों का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने की नियत से पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय से पहले से विवादित भूमि पर काबिज काश्त है इसलिए उनके खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है। अप्रार्थीगण द्वारा छलपूर्वक न्यायालय हाजा के समक्ष ही अन्य वादपत्र झालू बनाम गिर्राज मु0न0 70/2025 वादपत्र बाबत बेदखली एवं स्थायी निषे0 तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 मु0न0 58/2025 पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, उक्त वादपत्र में स्वंय अप्रार्थीगण भी प्रार्थीगण का कब्जा मानते है। इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब अप्रार्थीगण को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज की जावे।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र उदघोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले से काबिज होने तथा उपकृषक होने के आधार पर पेश किया गया है, अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर उनका स्वंय का कब्जा बताते है। लेकिन न्यायालय हाजा में ही अप्रार्थीगण द्वारा अन्य वादपत्र झालू बनाम गिर्राज मु0न0 70/2025 वादपत्र बाबत बेदखली एवं स्थायी निषे0 तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 मु0न0 58/2025 पेश किया गया है। बेदखली वादपेश किए जाने से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। तथा उपकृषक के आधार पर खातेदारी अधिकार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले से प्रार्थीगण के काबिज होने एवं

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय, जिला दौसा

निर्णय / ज्ञाप्त क्र०

खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के संबंध में मूल वादपत्र में साक्ष्य सबूत लिया जाकर ही निर्णय किया जा सकता है। लेकिन जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो विवादित भूमि के रहन, बय, विक्रय एवं मौका स्थिति परिवर्तन की पूर्ण संभावना है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषे0 पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना अस्थाई निषे0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 796 रकबा 0.1800 है0 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति को बनाए रखे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा